

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त के संबंध में है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य विषयों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय-सूची को उजागर करता है और प्रमुख आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट लक्ष्य के प्रति निष्पादन, राजस्व और व्यय अनुमान, विचलनों के कारण और उनके प्रभाव के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

विहंगावलोकन:

- पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (वर्तमान मूल्य पर) 8.79 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2019-20 के ₹ 7.93 लाख करोड़ से 2023-24 में ₹ 11.08 लाख करोड़ तक बढ़ा। 2023-24 में स.रा.घ.उ. में पिछले वर्ष 2022-23 से 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का बजट परिव्यय 2019-20 के ₹ 64,180.68 करोड़ से 7.14 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 81,918.23 करोड़ हो गया।
- राजस्व प्राप्तियों में 9.42 प्रतिशत की कमी आई और इसलिए स.रा.घ.उ. पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022-23 के 6.18 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 5.13 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने कर राजस्व में 13.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2022-23 के ₹ 59,395 करोड़ से 2.42 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 60,830 करोड़ हो गया। इसमें, राजस्व व्यय में 2022-23 से 4.33 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

- राजस्व अधिशेष 2022-23 की तुलना में 55.30 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए ₹ 14,457 करोड़ से घटकर ₹ 6,462 करोड़ हो गया, जबकि 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष के प्रति 2023-24 में ₹ 3,934 करोड़ का राजकोषीय घाटा रहा। इस प्रकार 186.16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

प्राप्ति-व्यय बेमेल

- प्राप्ति और व्यय के बीच निरंतर बेमेल बढ़ते हुए राजकोषीय तनाव की ओर इंगित करता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

2019-20 से 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियां ₹ 47,136 करोड़ से बढ़कर ₹ 56,798 करोड़ हो गईं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 5,588 करोड़ से घटकर ₹ 98 करोड़ रह गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 के 20.10 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.68 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को इस वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 955.34 करोड़ प्राप्त हुए।

- सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछली बाध्यताओं के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य की अवसंरचना एवं सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है।
- 2019-20 और 2023-24 के बीच राजस्व व्यय ₹ 39,637 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 5.00 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 50,336 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.54 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने लगातार 6.51 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि करते हुए कुल व्यय के 81 प्रतिशत (2021-22) से 83 प्रतिशत (2023-24) तक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

- राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष/घाटा होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 2022-23 के ₹ 14,457 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ हो गया, यानी पिछले वर्ष की तुलना में

55.30 प्रतिशत की कमी, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.4 एवं अध्याय 2 में बताया गया है।

- केंद्र सरकार द्वारा ₹ 2,023 करोड़ की पेंशन संबंधी देयताओं और दिल्ली पुलिस पर ₹ 11,123 करोड़ के व्यय को वहन किए जाने के कारण, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर सकी, जो कि ₹ 6,684 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा, यदि उपर्युक्त दोनों देयताओं को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता।
- 2019-20 से 2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय लगातार पूंजीगत बजट से कम रहा है और यह हमेशा स.रा.घ.उ. के 1 प्रतिशत से कम रहा। चालू वर्ष के दौरान, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत की कमी आई। महत्वपूर्ण शीर्षों के अंदर यह कमी तीव्र थी जैसे चिकित्सा और जन स्वास्थ्य में 49.87 प्रतिशत, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 42.19 प्रतिशत, निर्माण कार्य में 39.70 प्रतिशत और शहरी विकास में 36.36 प्रतिशत।
- राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 के ₹ 416 करोड़ (स.रा.घ.उ. का (-) 0.05 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹ 3,934 करोड़ (स.रा.घ.उ. का (-) 0.36 प्रतिशत) हो गया।
- राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन और मजदूरी तथा पेंशन पर होने वाला व्यय शामिल है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान ब्याज का भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का लगभग 36 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 6.57 प्रतिशत की औसत दर से, अर्थात् 2019-20 के ₹ 13,825.47 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 18,116.50 करोड़ हो गया।
- 2019-20 (₹ 11,904.80 करोड़) से 2023-24 (₹ 13,997.20 करोड़) की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय की औसत वृद्धि 4.43 प्रतिशत थी। तथापि, अपरिवर्तनीय व्यय 2022-23 के ₹ 14,667.45 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 13,997.20 करोड़ हो गया, जो 4.57 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

- कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 32,113.70 करोड़ रहा जो राजस्व व्यय का 63.80 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

- गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी की बढ़ती प्रवृत्ति है, जो 2019-2020 के ₹ 3,593 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 4,840 करोड़ हो गई, अर्थात् 2019-20 के कुल राजस्व व्यय के 9.06 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 9.62 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में बिजली सब्सिडी का हिस्सा महत्वपूर्ण रहा, जो 66.96 प्रतिशत (2019-20) से लेकर 70.39 प्रतिशत (2020-21) तक रहा।

राजकोषीय स्थिरता

- राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं का स्तर, बजट इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे वृहद-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के बेमेल का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अपरिवर्तनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधि में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण आदि सम्मिलित हैं।

राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के बीच रा.रा.क्षे.दि.स. का बकाया सार्वजनिक ऋण प्रतिवर्ष औसतन 1.98 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। रा.रा.क्षे.दि.स. का सार्वजनिक ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 2019-20 के 4.38 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.19 प्रतिशत हो गया है, जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण निकट भविष्य में संभव हो सकता है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान, यद्यपि डोमर गैप (जी -आर के रूप में अभिव्यक्त) धनात्मक था, परंतु 2022-23 को छोड़कर इस अवधि के दौरान प्राथमिक शेष घाटे में था। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का संपूर्ण अनुपात वर्ष 2022-23 में उधारों की चुकौती के लिए उपयोग किया गया, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान चुकौती 34 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक रही। शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।

बजट निष्पादन

- वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,625.43 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है, उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त की गई थी। तथापि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य विफल हो गया।
- वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छह अनुदानों में फैले 23 उप-शीर्षों में ₹ 612.16 करोड़ का अनावश्यक पुनर्विनियोग किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे और ₹ 1,227.53 करोड़ की संचयी बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक) हुई थी, जो अपर्याप्त बजट प्रक्रिया का संकेत था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।
- लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नौ अनुदानों में कुल ₹ 12,969.72 करोड़ की बचत हुई, जिसमें ₹ 6,763.76 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया और कुल बचत में से ₹ 6,205.96 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) मार्च 2024 के अंत में व्यपगत हो गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।
- पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रशासित 15 अनुदानों में से 10 के अंतर्गत संबंधित वित्त वर्ष के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत व्यपगत हो गई। यह भी पाया गया कि इन 10 अनुदानों में से आठ में सभी पांच वर्षों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे (**परिशिष्ट 3.8**)। समूचे प्रावधान की बचत इस बात की सूचक थी कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद अनुमान तैयार नहीं किए गए थे।

कुल व्यय आउटटर्न

- बजटीय लक्ष्य और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय आउटटर्न किस सीमा तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। राजस्व खंड में, मूल स्वीकृत बजट (बीई) की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 10.54 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों

में 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक; और एक अनुदान में +50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था।

- पूंजीगत खंड में, बीई की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 28.97 प्रतिशत था। यह एक अनुदान में 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और नौ अनुदानों में +50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। पूंजीगत खंड में दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

- बजट निष्पादन इस बात पर भी विचार करता है कि कार्यान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनराबंटन ने किस सीमा तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है। यह आकलन स्वीकृत बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व खंड में, संस्वीकृत बजट (एसबी) की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 13.04 प्रतिशत था। पूंजीगत खंड में, एसबी की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 33.10 प्रतिशत था।
- समय बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से इंगित करता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और संस्वीकृत बजट के बीच विचलन 18.71 प्रतिशत था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान के बराबर भी नहीं था। ऐसे विचलनों से निपटने और सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय बजट पद्धति प्रचलन में होनी चाहिए।

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

- लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में उन मदों, लेन-देन और घटनाओं को शामिल किया गया है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमियाँ और उन लेखा अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का साक्ष्य देते हैं। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों को भी उजागर करता है जैसे कि सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देयताओं का गैर-या अल्प-भुगतान और लेनदेन का गलत वर्गीकरण और डेटा अंतराल।

पीडी खातों का संचालन

- 31 मार्च 2024 तक 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 66.21 करोड़ का अंतिम शेष था।

एकल नोडल एजेंसी को निधि

- भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और धन उपलब्ध कराने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की पद्धति शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर स्थित एसएनए के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।
- पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2023-24 के दौरान ₹ 2,009.81 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 947.20 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1,062.61 करोड़) अंतरित किया गया। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 842.21 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र

- निर्धारित समयावधि के अंदर सशर्त अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 3,760.84 करोड़ के 1,313 बकाया उ.प्र. लंबित थे।
- उ.प्र. प्रस्तुत न करने का अर्थ है कि यद्यपि खर्च तो हुआ है परंतु अनुदानग्राहियों ने यह नहीं बताया है कि निधि कैसे खर्च की गई। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्य पूरे हुए हैं।

ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल

- इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय (ए.सी.) बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम राशि के प्रति विस्तृत आकस्मिक व्यय (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 346.82 करोड़ के 4,466 ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 266.43 करोड़ के 3,988 ए.सी. बिल 2022-23 तक की अवधि से संबंधित थे।
- निकाले गए अग्रिमों का लेखा-जोखा न होने से अपव्यय/दुर्विनियोग/दुराचार आदि की संभावना बढ़ जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा ए.सी. बिलों के आहरण के पश्चात

निर्धारित समय के अंदर डी.सी. बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें निकाला गया था। इसलिए, इस पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है।

प्रचलित नियमों और कोडल प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदानों के प्रति उ.प्र. का समय पर प्रस्तुत न किए जाने, ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों को प्रस्तुत न किए जाने से लेखाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।